

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(पीठासीन अधिकारी डॉ. सौम्या झा, आई.ए.एस. )

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

90 / 2025

27.03.2025

वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं 203 एवं 204. द्वितीय तल, ए विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बून्दर रोड, सेवरी वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र.400015 में स्थित व कार्यरत है एवं जिसका एक शाखा कार्यालय वास्तु हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड प्रथम तल, मरूधर प्लाजा, एफ.300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड, मेट्रो पिलर नं 102 के सामने, सोडाला, जयपुर राजस्थान में स्थित एवं कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री श्रीराम दूदवाल।

—प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटरी

बनाम

1 Mr/Mrs-Zakir Hussain

Resi Add-Plot No 282/17 Kasre Gaphoor Raj Talkis ke Piche Raj Ralkis Tonk Rajasthan  
Office Add-Madina Masjid Saini Nagar Tonk Rajasthan 304001  
Property Add- Saini Nagar, Near Madina Masjid Mohalla Shagird Pesha Tonk, Rajasthan  
304001

2 Mr/Mrs- Mohd Shadab Hussain

Resi Add-Plot No 282/17 Kasre Gaphoor Raj Talkis ke Piche Raj Ralkis Tonk Rajasthan  
Property Add- Saini Nagar, Near Madina Masjid Mohalla Shagird Pesha Tonk, Rajasthan  
304001

3 Mr/Mrs- Rashida Bano

Resi Add-Plot No 282/17 Kasre Gaphoor Raj Talkis ke Piche Raj Ralkis Tonk Rajasthan  
Property Add- Saini Nagar, Near Madina Masjid Mohalla Shagird Pesha Tonk, Rajasthan  
304001

4 Mr/Mrs- Nasreen Khan

Resi Add-Plot No 282/17 Kasre Gaphoor Raj Talkis ke Piche Raj Ralkis Tonk Rajasthan  
Property Add- Saini Nagar, Near Madina Masjid Mohalla Shagird Pesha Tonk, Rajasthan  
304001

5 Mr/Mrs- Sharif Sardar Khan

Permanent Add- Near Imam Bada, Todi Mohalla, Dag, Todi Mohalla, Jhalawar, Rajasthan  
326514

ऋणी / सहऋणी / जमानती

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल  
असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश

दिनांक 01.05.2025

प्रार्थी बैंक / कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The  
Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली एवं  
दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

  
जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक



प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण, बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से ऋण खाता संख्या LP0000000043193 से दिनांक 27.06.2020 को कुल 9,00,000/- रुपये (अक्षरे नौ लाख रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध कराया गया था व अप्रार्थी/ऋणियों, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सुविधा के एवज में बंधक सम्पत्ति, श्री Zakir Hussain के स्वामित्व व अधिपत्य की एक सम्पत्ति/भूखण्ड पट्टा संख्या Saini Nagar, Near Madina Masjid Mohalla Shagird Pesha Tonk, Rajasthan में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 77.77 वर्गगज है एवं जिसकी सीमाएं पूर्व में अनिल अरोडा का मकान, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में छोटू लाल सैनी का मकान तथा दक्षिण में प्रभूलाल सैनी का मकान स्थित है। अप्रार्थी /ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को, बैंक के साथ किये गये ऋण अनुबंध की शर्तों के नियमानुसार, नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 04.12.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणीगण के ऋण खाते में कुल बकाया राशि 6,39,721/- (अक्षरे छः लाख उन्तालीस हजार सात सौ इक्कीस रुपये मात्र) दिनांक 09.12.2024 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते है। उक्त ऋणी को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 12.12.2024 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की गई है। ऋणी द्वारा बन्धक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं सम्मलाया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि क पुनर्भुगतान हेतु रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक / कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक/ कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या 6256/2016 पंकजकुमार व अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर व अन्य, में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2016 के अनुसार ऋणी को धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नोटिस जारी किया जाने व तामिल के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः ऋणी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत स्पष्ट प्रावधान है, जो इस प्रकार है।

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset-

(1)Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are

  
जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

247

transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated of found- to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him-

- (a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and
- (b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहन शुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :

1. रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार टोंक को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्युरिटीइन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा.31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनभत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।

आदेश आज दिनांक 01.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ.सौम्या झा)  
जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
**टोंक**